आजादी के बाद का परिदृश्य एवं जनजातियों का राजनीतिक विकास

डॉ सरिता नेमा, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान शा. महा. पथरिया, दमोह (म,प्र)

सारांश: भारतीय समाज में विभिन्न जनजातियों का पाया जाना हमारी संस्कृतिक धरोहर है। आधुनिक युग उपभोगवाद पर आधारित है। किंतु आदिम इतिहास के संदर्भ में आदिम जनजातियों का अध्ययन करना भी आधुनिक समाज की आवश्यकता है। आजादी के बाद के परिदृश्य पर यदि हम विचार करें तो जनजातियों के जीवन में सुधार दृष्टिगोचर होता है। जनजातियों का बदलता हुआ वातावरण मुख्य रूपसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का परिणाम है । प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सभी राजनीतिक दल उन क्षेत्रों में अपने प्रभाव को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिनके कारण उनका जीवन स्तर सरल और परंपरागत होना है। चुनावी प्रक्रिया प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण भाग है जिसके चलते इनकी जीवनशैली में बदलाव होने लगता है। राजनीतिक दलों के प्रभाव से जनजातियों मैं भी गुट बंदी,संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के साथ एक नई राजनीतिक चेतना का विकास होने से एक और राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ने लगे,दूसरी ओर अपने अधिकारों के प्रति सजग होने से उनमें आंदोलनकारी प्रवृत्ति का जन्म हुआ है। वास्तविकता यही है कि जनजातियों के बदलते परिवेश के लिए बहुत सी अवस्थाएं उत्तरदायी हैं।

मुख्य शब्द: राजनीतिक चेतना, जनजाति, परिवेश, संवैधानिक, राजनैतिक, अधिकार

प्रस्तावना: जनजातियों का निवास पहाड़ और वनों मे रहा है। नगरो,शहरों से उनका संपर्क कम होने से विकसित सभ्यता से उनकी दूरी बनी रही है। उनका निवास क्षेत्र ही उनके विकास मे अवरोधक रहा है । उनके जीवन निर्वहन के संसाधनों में कमी उनकी अलग–अलग जीवन शैली विकसित होने का कारण रही है। जो उनकी विशिष्ट पहचान बनाती हैं। जनजातियां अधिकतर वन और वनोपज पर निर्भर रही है। यही कारण था कि उनका जीवन निर्वहन अर्थोपर्जन सीमित रहा है। विकसित साधन न होने के कारण कृषि कभी उनका प्रमुख व्यवसाय नहीं बन पाया और धन के अभाव ने उनकी जीवन निर्वहन की आवश्यकता को सीमित कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ब्रिटिश शासकों, राजा,महाराजाओं ने इनके विकास हेतु कोई ध्यान नहीं दिया। प्रभुत्वशाली वर्गों ने इनका शोषण किया। इसका परिणाम यह हुआ की जनजातियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, पिछड़ापन के रूप में सामने आया। स्वतंत्रता के पश्चात् राष्ट्र के विकास के संबंध में गहन विचार विमर्श हुआ परिणाम स्वरूप कमजोर वर्ग के उत्थान की आवश्यकता के रूप में सामने आया, बुद्धिजीवियों ने माना कि राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य की प्राप्ति इस वंचित कमजोर वर्ग के उत्थान के अभाव में असंभव है। संविधान निर्माताओं ने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कमजोर व पिछड़े वर्ग को विकास के विशेष अवसर दिए जाएंगे जिससे इस वर्ग के लोग देश के आर्थिक और राजनीतिक धारा में अपना एकीकरण कर सकें। इसी प्रकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जनजातियों एवं कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ताकि कमजोर वर्ग को विशेष सुविधाएं देकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना था। आजादी के बाद जनजातियों को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य उनकी आर्थिक, सामाजिक उत्थान को ध्यान में रखते हुए संविधान में जनजातीय कल्याण से संबंधित 20 अनुच्छेद और दो विशिष्ट अनुसूचियां बनाई गई, जिसमें 46 अनुच्छेद उपयोगी है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि निर्धन अनुसूचित जनजाति के लोगों के शैक्षिक विकास एवं आर्थिक हितों के लिए राज्य सरकार विशेष प्रावधान करेगी। उनको सभी प्रकार के शोषण और दमन से मुक्ति दिलाएगी। इसी प्रकार अनुच्छेद 230, 332 , 334 में जनजाति के सदस्यों के लिए लोकसभा, विधानसभा में सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। तथा अनुच्छेद 335 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज व्यवस्था में तीनों स्तरों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इससे जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था पर जनजातीय लोगों का ही वर्चस्व स्थापित हो गया। संविधान के अंतर्गत जनजातियों के कल्याण के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार ने अनेक नीतियों, कार्यक्रम को क्रियान्वित किया है। इस कारण जनजातीय आज सरकारी प्रावधान का लाभ उठा पा रही है। सरकार के साथ–साथ स्वयंसेवी संस्थाएं भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है। जिनमें मुख्यता भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद आश्रम जैसी संस्थाएं अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। अतः इस दिशा में संविधान प्रावधानों एवं संरक्षण के परिपेक्ष में शासन सजग है एवं उनके चहुमुखी विकास का प्रयास किया जा रहा है। सामाजिक शोषण अन्याय और दमन के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि वह भी अन्य वर्गों के साथ मिलकर आगे बढ़ सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शिक्षा, स्वस्थ सेवाओं का पिछड़े क्षेत्रों में व्यापक प्रचार किया जा रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार की ओर से नगद धनराशि, बीज, औजार, बिजली, सिंचाई, सभी तरह की सुविधाएं सुलभ कराई जा रहे हैं। साथ ही जनजातियों के शैक्षिक विकास हेतु बड़ी संख्या मे छात्रावास एवं प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। भारत में स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई तो जनजातियां का राजनीतिक परिवेश बदलने लगा। जनजातीय लोगों की राजनीति में सहभागिता बढ़ने लगी, जिससे जनजाति जीवन में अनेक नए

परिवर्तन सामने आने लगे। मताधिकार ऐसी शक्ति होती है जिससे किसी भी समुदाय की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। मध्यप्रदेश,झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां की जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत बहुत अधिक है, ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल उनको अन्य अधिकारों के प्रति जागरूक करके उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक चेतना का ही परिणाम है कि अब जनजातियां बाहरी समूह द्वारा किए जाने वाले किसी भी शोषण अथवा जनजाति विरोधी कानूनों का खुलकर विरोध करने लगे हैं। परंपरागत नियंत्रण में परिवर्तन की बात करें तो कुछ समय पहले तक प्रत्येक जनजाति मे लोगों पर नियंत्रण रखने का काम जनजाति के मुखिया द्वारा किया जाता था। मुखिया का पद अनुवांशिक होता था तथा सभी उनके आदेशों का पालन करते थे। वर्तमान व्यवस्था में जब सभी लोगों को स्वयं चुनाव लड़ने तथा पसंद के प्रत्याशी को मत देने का अधिकार मिलने से मुखिया की तानाशाही पूरी तरह से समाप्त हो गई । जनजातीय क्षेत्रों में कानूनों का शासन है लेकिन चुनाव पर आधारित राजनीति के कारण जनजातियों में गुट बंदी की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। आंदोलनकारी प्रवृत्ति के कारण भी जनजातियों ने अपने अधिकारों के प्रति चेतना विकसित हुई है। फलस्वरुप पृथक राज्य की मांग करना प्रारंभ हो गया। सन 2000 में झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का निर्माण जनजातियों द्वारा किए जाने वाले आंदोलनों का परिणाम था। जनजातियों में राजनीतिक चेतना का एक विशेष रूप सजातीयता के रूप में सामने आया है। विभिन्न जनजातियां बाहरी समूह की संस्कृति और जीवन शैली को ग्रहण करके अपनी परंपरागत संस्कृति से अलग होती जा रही थी। जनजातियों में उभरते हुए नए नेतृत्व ने श्जनजाति जनजातियों के लिए' का नारा दिया गया जिसमें अपने परंपरागत संस्कृ ति, भाषा, क्षेत्रीय तथा व्यवहार प्रतिमानो के प्रति एकजुट करने का प्रयास किया। जिसके परिणाम स्वरूप जनजातियो मे एक नई चेतना विकसित हुई, जिसे पुनर्जनजातिकरण जैसे शब्द से संबोधित करते हैं। जिसमें जनजातियों ने अपने आप को फिर से एक पृथक सांस्कृतिक और धार्मिक समूह के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने के प्रयत्न प्रारंभ कर दिए हैं। जनजातिय लोग किसी जनजातिय प्रत्याशी को ही समर्थन देना अपने हित में मानते हैं। यही कारण है कि जनजातिय प्रत्याशी बनाना पसंद करते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद समानता के सिद्धांत के आधार पर विकास प्रक्रिया को महत्वपूर्ण, प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक समझा गया ताकि समाज में कमजोर वर्गों की स्थिति में सुधार करने के लिए विशेष संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जाए। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि ''राज्य अपने कमजोर वर्गो विशेषकर अनुसूचित जनजातियों तथा जातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा करने का विशेष ध्यान रखेगा, सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करेगाश्श जनजातीय विकास से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निम्नलिखित रुप में समझा जा सकता है। अनुच्छेद 29 (2) के द्वारा व्यवस्था की गई है कि शिक्षा संस्थाओं में उनके प्रवेश पर कोई रुकावट नहीं रखी जाए। अनुच्छेद 164 भाग (6) के अनुसार मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में जनजातिय कल्याण मे प्रथक मंत्रालय स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 224 पांचवी और छठी अनुसूचियों के अनुसार जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था करने का प्रावधान रखा गया है। अनुच्छेद 224 भाग(1) से संबंधित पांचवी अनुसूची के अंतर्गत एक, 'जनजातिय सलाहकार परिषद' , की स्थापना की व्यवस्था की गई। परिषद का कार्य अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए दिशा निर्देश देना है। अनुच्छेद 330 तथा 332 के द्वारा संसद तथा राज्य विधान मंडलों में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद, 339 के द्वारा राष्ट्रपति कभी भी अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा कल्याण संबंधी रिपोर्ट की मांग कर सकते हैं। अनुच्छेद 23 में यह व्यवस्था की गई है कि कुछ अन्य वर्गों के साथ अनुसूचित जनजातियों में जबरन देह व्यापार और बधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया जाए। अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण और विकास से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 1989 में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति अधिनियम पास किए, जनजातीय विकास के लिए किए जाने वाले संवैधानिक प्रावधान इस सिद्धांत पर आधारित है कि शताब्दियों से शोषित और उपेक्षित वर्गों का तब तक कोई विकास नहीं हो सकता जब तक उनके संरक्षण और विकास के लिए उन्हें विशेष अधिकार ना दिए जाएं। इस दृष्टिकोण से जनजातियों को दी जाने वाली संवैधानिक सुरक्षा को पूरी तरह न्याय उचित कहा जा सकता है। संवैधानिक प्रावधानों के फलस्वरुप राजकीय सेवाओं में जनजातियों का प्रतिनिधित्व बड़ा है, नया नेतृत्व विकसित हुआ आर्थिक स्थिति मैं सुधार, जनजातियों में बधुआ मजदूरी समाप्त होना, जनजातियों में शिक्षा का प्रसार होना, रूढ़ियों अंधविश्वासों का प्रभाव कम होना, संसद, विधान मंडलों में आरक्षण मिलना।

सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के बावजूद जनजातियों का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। जिसके लिए कुछ सीमा तक जनजातियां स्वयं जिम्मेदार है। आज जनजातिय क्षेत्रों में शिक्षा की विभिन्न सुविधाएं प्राप्त होने के बावजूद भी जनजातिय बच्चे शिक्षा ग्रहण करने से दूर भागते हैं, अनेक जनजातिये

अपने बच्चों को पांचवी आठवीं के बाद स्कूल से निकाल लेते हैं। और उनसे दूसरे काम करवाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में समुचित विकास की कल्पना कैसे की जा सकती है। आज सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ी श्रेणियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को प्रमुख माना जा रहा है। इनमें अनुसूचित जाति के लोग जहां विकासशील हुए हैं, वहीं अनुसूचित जनजाति में पर्याप्त राजनीतिक चेतना व सशक्त प्रतिनिधित्व का घोर अभाव बना हुआ है। अतः जनजातिय विकास के नवीन आयामों की खोज करना जरूरी हो जाता है। ताकि इस वर्ग की विशेष कर राजनीतिक जागरूकता व प्रतिनिधित्व वृद्धि की जा सके। अतः इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले जनजातियों की भौगोलिक, राजनैति, आर्थिक, संवैधानिक पृष्ठभूमि तक पहुंचा जाए, तभी इनके सर्वांगीण विकास का उचित दिशा में आगे बढ़ना सार्थक व सफल होगा। जनजाति विकास का सकारात्मक पक्ष स्वतंत्र भारत में जनजाति विकास के लिए कई संवैधानिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रयास किए गए हैं जिनसे जनजाति वर्ग को अनेक लाभ हो सकते हैं, वर्तमान में ये वर्ग सतत् विकास की ओर अग्रसर है जिसे जनजातियों के लिए सकारात्मक पक्ष और इसकी समीक्षा कर के ही इस क्षेत्र की समस्या रूपी कठिनाइयों का समाधान किया जा सकता है। जनजातियों के विकास के मार्ग में निम्नलिखित समस्या रूपी बाधाएं खड़ी हैं–

1–सामाजिक उपेक्षा का दुष्प्रभाव 2–धर्मांतरण से जूझती जनजाति

3–सरकारी तंत्र की निष्क्रियता 4–जनजातियों की जमीनों की लूट–खसोट

5–गरीबी निरक्षरता 6–बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से उत्पन्न समस्याएं।

जनजातीय के समाधान हेतु सुझाव–

1–विकास की मूल वाहक शिक्षा संबंधी समस्याओं का यथाशीघ्र हल खोजना होगा।

2–आदिवासियों की आवासीय व खाद्य समस्याओं को दूर करने के लिए सतत प्रयास हो।

3–उनकी कृषि व पशुपालन से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए जनजातीय वर्ग को यथा संभव आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाए।

4–बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई एवं लालफीताशाही जैसी सामाजिक व प्रशासनिक समस्याओं का ठोस हल खोजा जाए।

उद्देश्य: जनजातीय विकास हेतु किए जाने वाले प्रयासों में,अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम,समन्वित जनजाति विकास योजना बनाना व लागू करना, जनजातीय उपयोजना का नीति निर्माण, जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना, पुनर्वास सुविधा तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की स्थापना मुख्य है। यह सभी केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले एकीकृत प्रयास है। ताकि विभिन्न प्रकार की विकास योजनाओं और सुविधाओं का उन्हें लाभ प्राप्त हो सके और उन्हें इसकी जानकारी होना आवश्यक है जिससे उनका सामाजिक एवं राजनीतिक विकास हो और वे जागरूक हो सके। राजनीतिक जागरूकता का अर्थ है कि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग हो,यह तभी संभव हो सकता है जब वह राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी होंगे।

निष्कर्ष: उपरोक्त अध्ययन के पश्चात समग्र रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि देश के जनजातीय वर्ग के पिछड़ेपन का कारण उनकी अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वस्थ, परिवहन, संचार आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। वास्तव में भारत की जनजातियों का बदलता परिवेश उन दोनों दशाओं से संबंधित है जो एक और जनजातियों में होने वाले रचनात्मक परिवर्तनों को स्पष्ट करते हैं,तो दूसरी ओर इनका संबंध जनजातियों में पैदा होने वाली नई समस्याओं से है। जनजातियों के जीवन में आज जो भी परिवर्तन हुए हैं, उनका मुख्य कारण संस्कृतीकरण,लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा पुनर्जनजातीयकरण की दशाएं है। जनजातियों में पैदा होने वाली नई चेतना को अनेक वर्ग एक चुनौती के रूप में देखते हैं लेकिन वास्तविकता यही है कि एक कल्याणकारी राज्य के रूप में जनजातियों के परिवेश में होने वाला परिवर्तन राष्ट्रीय विकास के लिए अनिवार्य है।

संदर्भ सूची

- अग्रवाल डॉक्टर जी के,समाजशास्त्र,साहित्य भवन,एसबीपीडी पब्लिशिंग हाउस,आगरा संस्करण 2014।
- श्रीवास्तव डॉक्टर ए पी,समाजशास्त्र, आरपी यूनिफाइड, राम प्रसाद एंड संस, अस्पताल रोड,आगरा।
- जनजातीय विकास में राजनीतिक जागरूकता की दशा एवं दिशा, डॉ गीता शराफ, डॉ एस मनसूर अली, डॉ न्यास अंसारी।
- जनजातीय विकास पर राजनीतिक जागरूकता का प्रभाव, श्रीमती वसुधा आंवले,जनजातीय विकास के नए आयाम,संपादक डॉ राजेन्द्र कुमार मिश्रा।
- आदिवासी विकास की दशा एवं दिशा, श्रीमती बिंदु शुक्ला,डॉ यू के शुक्ला, जनजातीय विकास के नए आयाम,संपादक डॉ राजेन्द्र कुमार मिश्रा।
- धर्म, संस्कृति,जनजाति विकास के सरोकार, सुश्री रंजीता नटखालिया, जनजातीय विकास के नए आयाम,संपादक डॉ राजेन्द्र कुमार मिश्रा।